कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन शाखा) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल –462004

दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755-2674354 E-mail: pccfprod@mp.gov.in,

क्रमांक/उत्पा./काष्ठ/2016/99/1021 भोपाल,दिनांक 8-4-21

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं
पदेन वन संरक्षक(क्षेत्रीय),
मध्यप्रदेश

विषयः– कूपों में अनुमानित मात्रा एवं प्राप्त मात्रा में अंतर समाधान विदोहन वर्ष में ही करने बाबत् ।
संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र कमांक 2100 भोपाल दिनांक 16.7.2015 ।

—:: 0 ::—

विषयान्तर्गत कार्यालयीन पत्र कमाकं 1068 दिनांक 10.03.2004 द्वारा समस्त मुख्य वन संरक्षकों को कूपों में अनुमानित मात्रा एवं वास्तविक मात्रा में अंतर का समाधान विदोहन के समय ही कर लेने हेतु दिशा निर्देश जारी किये थे, एवं संदर्भित पत्र द्वारा कार्यालयीन पत्र कमांक 1068 दिनांक 10.3.2004 के तारतम्य में पुनः लेख किया गया था। कृपया मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

कृपया कूपों में अनुमानित मात्रा एवं प्राप्त मात्रा में अंतर का समाधान पत्रक वानिकी वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20 शीघ्र इस कार्यालय को भिजवायें।

प्रतिभूत

अप्र.मु.व.सं.(सूचना प्रौद्योगिकी) मध्य प्रदेश, भोपाल

(सी0के0पाटिल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
म0प्र0 भोपाल

पृ0क्रमांक/ उत्पा./काष्ठ/2016/99/ 1022 भोपाल,दिनांक 8.4.21

प्रतिलिपिः– समस्त वनमण्डलाधिकारी उत्पादन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

07/04/21

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
म0प्र0 भोपाल

प्रतिलिपि,
✓ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी शाखा) की ओर म.प्र. शासन वन विभाग की साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Addl. P.C.C.F. (Production) M.P. Bhopal

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन कक्ष) सतपुड़ा भवन, मध्य प्रदेश भोपाल

Tel&Fax0755-2674354 Email- apccfprod@mpforest.org

15

क्रमांक/वनिस/उत्पादन/ 2100 भोपाल, दिनांक 16-7-20

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं
पदेन वन संरक्षक(क्षेत्रीय),
मध्य प्रदेश

विषयः— कूपों में अनुमानित मात्रा एवं प्राप्त मात्रा में अंतर का समाधान विदोहन वर्ष में ही करने बाबत।

संदर्भः— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) का पत्र कमांक /उ0/ काष्ठ/ 2004/ 1068 दिनांक 10.03.2004

कृपया अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) के संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें (छाया प्रति संलग्न है)। इस पत्र द्वारा कूपों के अनुमानित उत्पादन एवं वास्तविक उत्पादन का अंतर 10 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) एवं वनमण्डलाधिकारी(उत्पादन) द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों के बारे में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं।

2. इस पत्र के जारी होने के बावजूद कई वनमण्डलों के कई कूपों में अनुमानित उत्पादन की तुलना में वास्तविक उत्पादन का अंतर 10 प्रतिशत से अधिक पाया गया । यदि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) के संदर्भित पत्र के अनुसार समस्त कार्यवाही की जाती तो संभवतः यह अंतर परिलक्षित नहीं होता।

3. 10 प्रतिशत से अधिक अंतर होने पर महालेखाकार द्वारा कुछ प्रकरणों में आपत्ति ली गयी तथा लोक लेखा समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन में इन निर्देशों का पालन नहीं करने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। लोक लेखा समिति द्वारा यह अनुशंसा की गयी है कि भविष्य में असामान्य गणना नहीं हो इस हेतु व्यवहारिक दिशा निर्देश जारी हों और निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिये भी आवश्यक मापदण्ड तय किये जाएं।

4. लोक लेखा समिति की अनुशंसा के पालन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) के संदर्भित पत्र में आंशिक संशोधन कर निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैः—

(1) अनुमानित उत्पादन एवं वास्तविक उत्पादन का अंतर 10 प्रतिशत से अधिक होने पर निम्नलिखित कारण हो सकते हैः—

(i) क्षेत्रीय वनमण्डल द्वारा मार्किंग के पश्चात उत्पादन हेतु तैयार किये गये गणना पत्रक में फार्म फैक्टर एवं वृक्षों की संख्या की परिगणना में त्रुटि होना।

(ii) स्थल गुणवत्ता (Site Quality) तथा संनिधि मानचित्र (Stock Map) के आधार पर कूप विशेष के लिये फार्म फैक्टर का उपयोग नहीं किया जाना।

(iii) वनमण्डल विशेष के लिये राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर अथवा कार्य आयोजना में उल्लेखित वनमण्डल के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा मान्य किया गया फार्म फैक्टर का उपयोग वृक्षों के अनुमानित उत्पादन की गणना के लिये नहीं किया जाना।

(iv) मौके पर वास्तविक स्थल गुणवत्ता (Site Quality)एवं संनिधि मानचित्र (Stock Map)) में दर्शित स्थल गुणवत्ता में अंतर पाया जाना।

(v) पोलार्ड, ठूंठ एवं जलाऊ वृक्षों के अनुमानित उत्पादन की गणना में त्रुटि होना।

(2) उत्पादन वनमण्डलाधिकारी को जैसे ही क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी से अनुमानित उत्पादन का गणना पत्रक प्राप्त होता है, उत्पादन वनमण्डलाधिकारी उपरोक्त कण्डिका 01 के विभिन्न बिन्दुओं के प्रकाश में अनुमानित गणना पत्रक का परीक्षण करेंगे। परीक्षण उपरांत यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो उन त्रुटियों से संबंधित क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी को उत्पादन वनमण्डलाधिकारी अवगत कराकर पुनरीक्षित गणना पत्रक प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध करेंगे। क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी इस प्रकार प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अपने स्तर पर परीक्षण कर गणना पत्रक उत्पादन वनमण्डलाधिकारी को 15 दिवस में आवश्यक रूप से भेजेंगे। यदि क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी अपने परीक्षण में गणना पत्र में किसी प्रकार के पुनरीक्षण की आवश्यकता समझते हैं तो पुनरीक्षित गणना पत्रक क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी उत्पादन वनमण्डलाधिकारी को भेजेंगे तथा पुनरीक्षित गणना पत्रक के आधार पर ही अनुमानित उत्पादन को मान्य किया जाएगा।

यदि क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी अपने परीक्षण में गणना पत्रक में किसी प्रकार के पुनरीक्षण की आवश्यकता नहीं समझते हैं तो क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी उसे उत्पादन वनमण्डलाधिकारी को वापस भेजेंगे। ऐसी स्थिति में वृत्त के संबंधित मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा। इस बैठक में क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी एवं उत्पादन वनमण्डलाधिकारी उपस्थित रहेंगे। बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार कूप के अनुमानित उत्पादन को मान्य किया जाएगा।

(3) वृक्षों के विदोहन के पश्चात इस प्रकार अनुमानित उत्पादन के विरूद्ध प्राप्त वास्तविक उत्पादन में 10 प्रतिशत से अधिक अंतर फिर भी पाया जाता है तो ऐसे कूपों का संयुक्त निरीक्षण क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी एवं उत्पादन वनमण्डलाधिकारी करेंगे तथा स्थल निरीक्षण के आधार पर उन कारणों को चिन्हांकित करेंगे जिनके कारण 10 प्रतिशत से अधिक अंतर होना पाया गया।

यह स्पष्ट किया जाता है कि संयुक्त निरीक्षण केवल वनमण्डलाधिकारी के स्तर से ही किया जाएगा। उनके अधीनस्थ के द्वारा किया गया संयुक्त निरीक्षण मान्य नहीं किया जाएगा।

संयुक्त निरीक्षण के पश्चात एक प्रतिवेदन संबंधित वृत्त के मुख्य वन संरक्षक को प्रस्तुत किया जाएगा । मुख्य वन संरक्षक इस प्रतिवेदन के आधार पर स्वयं 10 प्रतिशत ऐसे कूपों का निरीक्षण करने के पश्चात अपना प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) को प्रस्तुत करेंगे।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) मुख्य वन संरक्षक के प्रतिवेदन के प्रकाश में 10 प्रतिशत से अधिक के अंतर के उत्पादन पर निर्णय लेंगें।

5. रपष्ट किया जाता है कि कार्यालयीन पत्र दिनांक 10.3.2004 की कण्डिका 05, जिसमें संयुक्त निरीक्षण के दौरान पुनरीक्षित अनुमानित मात्रा की गणना के लिये गुणांक निर्धारित कर अनुमानित मात्रा का पुनरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है, को विलोपित किया जाता है।

6. पत्र दिनांक 10.3.2004 की कण्डिका 04, जिसमें विक्रय अयोग्य प्रजातियों जैसे धोवन, कुल्लु आदि के वृक्षों को अनुमानित मात्रा की गणना में नहीं लेने का निर्देश दिया गया है, को विलोपित किया जाता है।

मार्किंग का कार्य कार्य आयोजना के प्रावधानों के तहत किया जाता है, जिसमें विक्रय अयोग्य एवं विक्रय योग्य का कोई प्रावधान नहीं है। यदि वृक्षों का विदोहन वनवर्धन की दृष्टि से आवश्यक है तथा इसकी मार्किंग क्षेत्रीय वनमण्डल द्वारा की गयी है, तो केवल लाभ की दृष्टि से उसे नहीं काटना सही नहीं है। अतः मार्किंग किये गये समस्त वृक्षों का विदोहन करने की जिम्मेदारी उत्पादन वनमण्डलाधिकारी की है। चूंकि अनुमानित उत्पादन में मार्कशुदा समस्त वृक्षों को शामिल किया जाता है, अतः वास्तविक उत्पादन में भी मार्कशुदा समस्त वृक्षों के विदोहन से प्राप्त आंकडों को भी सम्मिलित करना होगा।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि उत्पादन वनमण्डल के द्वारा अनुमानित उत्पादन को अपने स्तर से पुनरीक्षित नहीं किया जाएगा, बल्कि यदि पुनरीक्षण की आवश्यकता है तो उपरोक्त प्रकिया का अनुपालन कर के ही पुनरीक्षण की कार्यवाही की जाएगी।

8. कूपों के विदोहन के उपरांत क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी एवं उत्पादन वनमण्डलाधिकारी के संयुक्त निरीक्षण में यह पाया जाता है कि 10 प्रतिशत से अधिक अंतर मार्किंग में अथवा विदोहन में लापरवाही बरतने के कारण हुआ है, तो इस लापरवाही की जिम्मेदारी वनमण्डलाधिकारियों के संयुक्त निरीक्षण में निर्धारित कर लापरवाह अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए तथा इस लापरवाही से यदि कोई हानि हुई है तो उसकी वसूली भी संबंधित से की जाए।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

(नरेन्द्र कुमार),
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
मध्य प्रदेश भोपाल

48

कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन),
मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमॉक/उ0/30/काष्ठ/2004/ 1068 भोपाल,दिनॉक 10-3-2004

प्रति,

समस्त वन संरक्षक,

मध्यप्रदेश भोपाल

विषयः— **कूपों में अनुमानित मात्रा एवं प्राप्त मात्रा में अंतर का समाधान विदोहन वर्ष में ही करने बाबत।**

संदर्भः— इस कार्यालय का पत्र कमॉक/मुवस/उ0/731एवं पृ0क0 732 दिनॉक 18.01.1984

संदर्भित पत्र द्वारा पूर्व में ही लेख किया गया था कि अनुमानित आंकलन से वास्तविक उत्पादन का अंतर 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये, जिसकी छाया प्रति पुनः सलग्न है। फिर भी यह देखा गया है कि कुछ कूपों में अनुमानित मात्रा एवं प्राप्त मात्रा में 10 प्रतिशत से अधिक अंतर होता है, जिस बाबत आडिट द्वारा आपत्ति ली जाती है। वस्तुतः अनुमानित मात्रा एवं प्राप्त मात्रा में अंतर का समाधान विदोहन के समय ही कर लिया जाना चाहिये। इस बिन्दु पर सामान्यतः क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है एवं अंततः आडिट आपत्ति निर्मित होती है, जिसका समाधान करने में अत्यन्त कठिनाई होती है। अतः इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं:—

1— उत्पादन वनमण्डलाधिकारी के द्वारा क्षेत्रीय इकाई से प्राप्त अनुमानित मात्रा गणना पत्रक की जॉच की जायेगी। जॉचमें यह देखा जायेगा कि क्षेत्र की स्थल गुणवत्ता के अनुसार फार्म फैक्टर लगाया गया है या नहीं। स्थल गुणवत्ता का निर्धारण कार्य आयोजना अधिकारी द्वारा बनाये गये संनिधि मानचित्र के आधार पर किया जा सकता है। संनिधि मानचित्र में दर्शायी गयी गुणवत्ता एवं फार्म फैक्टर में अंतर पाये जाने पर वास्तविक स्थल गुणवत्ता के अनुरूप फार्म फैक्टर का उपयोग कर अनुमानित मात्रा का पुनरीक्षण उत्पादन वनमण्डलाधिकारी द्वारा कर सूचना तथा पुनरीक्षित गणना पत्रक की एक प्रति क्षेत्रीय वनमण्डल को प्रेषित की जायेगी।

2— गणना पत्रक में संख्या एवं गुणांकों की जॉच कर यह देखा जायेगा कि गणना पत्रक में कोई परिगणना की त्रुटि है अथवा नहीं। परिगणना की त्रुटि में भी आवश्यक सुधार उत्पादन वनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

—2—

3– गणना पत्रक में जलाऊ काष्ठ की मात्रा सामान्यतः घनमीटर में परिगणित की जाती है। कुछ वनमण्डलों में एक घनमीटर जलाऊ को बराबर एक चट्टा के समतुल्य माना एवं कुछ वनमण्डलों में एक घनमीटर जलाऊ काष्ठ को दो चट्टों के समतुल्य माना जाता है। इस संबंध में लेख है कि फारेस्ट मैन्यूअल (छठा संस्करण) के अध्याय 20 वनोपज का निर्वर्तन के पैरा 116 (Factor of Conversion, Page 122) में भी स्पष्ट किया गया है कि घनमीटर Stacked Fuel को Siolid Fuel में परिवर्तित करने के लिये 0.5 से गुणा किया जावे। एक जलाऊ चट्टे का आयतन 2 घनमीटर होता है। अतः जलाऊ चट्टे में एक घनमीटर ठोस काष्ठ होगी। अतः जलाऊ चट्टों की मात्रा की गणना करते समय एक घनमीटर काष्ठ को एक जलाऊ चट्टे के समतुल्य माना जाए।

4– गणना पत्रकों में कभी कभी विकय अयोग्य प्रजातियॉ जैसे धोवन, कुल्लु आदि के वृक्षों को भी अनुमानित मात्रा की गणना में सम्मिलित कर लिया जाता है। इस प्रकार सम्मिलित की गयी विकय अयोग्य प्रजाति का मार्किंग बुक से गोश्वारा निकालकर इससे प्राप्त होने वाली मात्रा को अनुमानित मात्रा में से कमी की जा सकती है। यह कमी भी उत्पादन वनमण्डलाधिकारी कर सकेंगे एवं क्षेत्रीय वनमण्डल अधिकारी को अभिलेख सहित इसकी सूचना देंगे।

5– उपरोक्तानुसार अनुमानित मात्रा का परीक्षण एवं पुनरीक्षण करने के उपरांत विदोहन के समय यह पाया जाता है कि परिगणित अनुमानित मात्रा एवं वास्तविक रूप से प्राप्त मात्रा में अंतर रहता है तो कूप का क्षेत्रीय एवं उत्पादन वनमण्डल के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण कर यह देखा जाएगा कि मौके पर वृक्षों की स्थल गुणवत्ता फार्म फैक्टर के अनुरूप है अथवा नहीं एवं यह भी देखा जाएगा कि शस्य किस प्रकार का है। सस्य में पोलार्ड की संख्या अधिक होने एवं चिन्हांकित वृक्षों से फार्म फैक्टर के अनुसार निर्धारित की गयी मात्रा तक काष्ठ प्राप्त न होने की संभावना होने पर संयुक्त परीक्षण के समय परीक्षित अनुमानित मात्रा की गणना के लिये एक गुणांक निर्धारित किया जाएगा। इस गुणांक के आधार पर कूप की अनुमानित मात्रा का पुनरीक्षण क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

6– वर्तमान में जिन वनमण्डलों में अनुमानित मात्रा एवं प्राप्त मात्रा में अंतर के कारण आडिट कण्डिकाएं लंबित हैं, उनमें उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर यदि आवश्यक हो तो अनुमानित मात्रा की पुर्नगणना कर समाधानकारक उत्तर दिया जाएगा एवं इस प्रकार प्रेषित समाधानकारक उत्तर में अनुमानित मात्रा के गणना पत्रक में क्षेत्रीय एवं उत्पादन वनमण्डलाधिकारियों के हस्ताक्षर होंगे।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन),
म0प्र0भोपाल
09/3/05

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

-3-

50 (5)

पृ0क0/ उत्पा/का/14 /2004/ 1069 भोपाल,दिनॉक 10-3-2004

प्रतिलिपिः—

1— समस्त वनमण्डलाधिकारी, उत्पादन वनमण्डल, मध्यप्रदेश

2— समस्त वनमण्डलाधिकारी, क्षेत्रीय वनमण्डल, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

09/3/04

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन),
म0प्र0भोपाल

10/3/04

कार्यालय
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

पृष्ठांकन क्र0 उ0/का0/14/ 1135 / भोपाल, दिनांक 16-3-2004

प्रतिलिपि :- मुख्य वन संरक्षक (वित्त एवं बजट) भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

16/3/04